150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक– प0 1(1)कार्मिक/क–2/2020 जयपुर, दिनांक 27-01-2021

समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।

विषयः– विभागों से संबंधित सेवा नियमों को अद्यतन करने के संदर्भ में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार अनुरोध हैं कि कई विभागों के संबंधित सेवा नियम काफी पुरानी अवस्था में है। कुछ सेवा नियम टंकित (Type) किये जाकर Pdf format में स्केन (Scan) कर वेबसाईट (Website) पर अपलोड (Upload) किये हुए है जिनमें समय–समय पर हुए संशोधनों को अद्यतन नहीं किया हुआ है। सेवा नियम एक अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें सभी विभागों के समस्त पदों पर भर्ती, पदोन्नति एवं सेवा शर्तो से संबंधित सभी प्रावधान समाहित होते है।

विभिन्न भर्ती एजेन्सीयो द्वारा की जाने वाली भर्तियों में सेवा नियमों की दृष्टि से पूर्ण स्पष्टता रहे इसके लिए सेवा नियमों का अद्यतन होना (updated) अति आवश्यक है। अद्यतन सेवा नियमों के अभाव में त्रुटि की संभावना अधिक रहती है जिसके परिणामस्वरूप न्यायिक वाद (Litigations) की स्थिति बनी रहती है।

राज्य सरकार द्वारा सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया को विवाद रहित बनाने तथा समय पर सम्पन्न करवाने हेतु सेवा नियमों को अद्यतन करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभाग संबंधित सेवा नियमों की एक सॉफ्ट कॉपी [Soft Copy (MS Word)] मय आदिनांक किये गये संशोधन कार्मिक विभाग को अतिशीघ्र प्रेषित करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने का श्रम करें।

भवदीय,

27/1/21

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

www.rajteachers.com